

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश विधुत गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 71/2011 विद्युत

संस्थापित दिनांक 30.09.2011

मध्यप्रदेश राज्य विधुत मण्डल द्वारा आर०एस०गौर

कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०वि०वि० कं०लि०

गोहद जिला भिण्ड म०प्र०.....परिवादी

बनाम

रमेश शर्मा पुत्र कूंवरलाल शर्मा निवासी ग्राम पडरिया, मौ

थाना मौ, जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आरोपी सहित श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 30-12-2016 को घोषित किया गया)

01. आरोपी का विचारण धारा 138 (1) ख विधुत अधिनियम 2003 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है उस पर आरोप है कि दिनांक 01-3-2011 को दोपहर 12:40 बजे आपने अपने पूर्व में कटे हुये कनेक्शन का एल०टी० लाईन से पुनः सीधे तार जोडकर खेत पर 5 एच०पी० के विद्युत पंप का उपयोग किया जाकर म०प्र०म०क्षे०वि०वि० कं०लि० को क्षति कारित की गई ।

02. परिवादी का परिवादपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि आर०एस०गौर कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०वि०वि० कं०लि० गोहद के द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का परिवादपत्र पेश किया गया है कि आरोपी रमेश शर्मा पुत्र कूंवरलाल शर्मा निवासी पडरिया मौ के नाम विद्युत कनेक्शन कं० 37020 पी खेत पर 5 एच०पी० की विद्युत पंप हेतु दिया गया था । आरोपी के उक्त कनेक्शन पर विद्युत बिल के रूप में 38725/- रुपये की राशि जमा न करने के कारण दिनांक 25-1-11 को धारा 56 के तहत बकाया राशि जमा करने के लिये सूचनापत्र दिया गया था । उसके उपरांत कनिष्ठ यंत्री आर०एस०गौर द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया कि आरोपी उक्त कनेक्शन का उपयोग कर रहा है तथा आरोपी ने उक्त कनेक्शन की बकाया राशि जमा नहीं की है तब आरोपी का विद्युत कनेक्शन कं० 38725 पी को

अस्थायी रूप से विजय सिंह एल0एच0 के द्वारा विच्छेद कर दिया गया। उक्त अस्थायी विच्छेदन का सूचनापत्र आरोपी को विजय सिंह एल0एच0 के द्वारा दिया गया जिसे आरोपी ने लेने से इन्कार किया। दिनांक 1-3-11 को दोपहर 12:40 बजे श्री आर0एस0गौर कनिष्ठ यंत्री, विजय सिंह लाईन हेल्पर, हनुमंत सिंह एल0एच0 के साथ आरोपी रमेश शर्मा के मौ के खेत पर विद्युत पंप का पुनः आकस्मिक निरीक्षण उसके परिसर में विद्युत के अवैध उपयोग कर आशंका के चलते किया तो मौके पर आरोपी द्वारा अप्राधिकृत रूप से कटे हुये कनेक्शन का अभियोगी की एल0टी0 लाईन से पुनः सीधे तार जोड़ कर खेत पर 5 एच0पी0 के विद्युत पंप का उपयोग किया जा रहा था। उस समय साक्षी विजय सिंह एल0एच एवं गंगासिंह एल0एच0 उपस्थित थे। कनिष्ठ यंत्री के द्वारा मौके पर ही विद्युत के अवैध उपयोग का पंचनामा तैयार किया जिस पर पूरी टीम ने पंचनामा की सत्यता के हस्ताक्षर किये। मौके पर उपस्थित स्वतंत्र साक्षियों ने अपना नाम बताने हस्ताक्षर करने से इंकार किया एवं आरोपी भगवानसिंह के विरोध के कारण जप्ती की कार्यवाही नहीं हो सकी। उसके उपरांत आरोपी द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि जमा न करने के कारण वर्तमान परिवादपत्र धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत समरीसीट पर अपराध की विशिष्टता तैयारकर पढकर सुनाये व समझाये गये आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. आरोपी का धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत आरोपी परीक्षण किया गया। आरोपी परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फंसाया जाना एवं बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. आरोपी को विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय है कि:-

क्या दिनांक 1/03/11 को दोपहर 12:40 बजे आरोपी ने पूर्व में कटे हुये कनेक्शन का एल0टी0 लाईन से पुनः सीधे तार जोड़कर खेत पर 5 एच0पी0 के विद्युत पम्प का उपयोग किया जा रहा था ?

::- निष्कर्ष के आधार:-:

06. परिवादी विद्युत मण्डल की ओर से आर0एस0गौर प0सा01, विजय सिंह प0सा02, गंगासिंह प0सा03 के कथन कराये गये हैं।

07. परिवादी साक्षी आर0एस0गौर प0सा01 जिसके द्वारा वर्तमान परिवाद पत्र पेश किया है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी रमेश शर्मा को पंप कनेक्शन की बकाया राशि के संबंध में 25-1-11 को 15 दिवसीय नोटिस दिये जाने के उपरांत दिनांक 14-2-11 को बकाया राशि जमा न कराने पर उसका कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जाना और 7 दिवसीय नोटिस

दिया जाना बताया है । साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि उक्त कटे हुये कनेक्शन का दिनांक 1-3-11 को निरीक्षण किया गया तो कनेक्शन चालू होना पाया गया इस संबंध में मोके पर पंचनामा बनाया जो प्र0पी0 1 है जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त पंचनामों पर उसके अतिरिक्त हनुमंत, विजय सिंह, गंगासिंह आदि के भी हस्ताक्षर होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है कि विद्युत कनेक्शन काटने के संबंध में जो सूचना आरोपी को दी गई थी उसमें सूचना लेने से इन्कार करने की टीप लिखी है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 3 के नोटिस एवं प्र. पी. 4 के सूचनापत्र में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराए हैं इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 3 व 4 में जो नोटिस व सूचनापत्र भेजे गए हैं उसकी सूचना आरोपी रमेश तक पहुँची अथवा नहीं इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

08. आरोपी को दिए गए धारा 56 विद्युत अधिनियम के नोटिस प्र.पी. 2 और अस्थाई रूप से कनेक्शन काटे जाने की सूचना प्र.पी. 3 का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में विजयसिंह प0सा0 2 जो कि लाइनमेन है के द्वारा प्र.पी. 2 व 3 के नोटिस की तामीली उसके द्वारा कराई गई थी और उन पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त नोटिस और सूचना प्र.पी. 2 व 3 का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि दोनों में यह टीप लिखी है कि लेने से इन्कार किया गया है, किन्तु किसी भी साक्षी के जिसके समक्ष तामीली करने हेतु कार्यवाही की गई है के न तो हस्ताक्षर है और न ही ऐसा उल्लेख है कि घर पर कौन मिला था और किस के द्वारा उन्हें लेने से इन्कार किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि कनिष्ठयंत्री आर.एस.गौर के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि कनेक्शन काटने के लिए वह स्वयं गए थे, किन्तु इस संबंध में लाइनमेन विजयसिंह प0सा0 2 के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि दो बार वह अकेले गए थे और तीसरी बार कनिष्ठयंत्री के साथ गए थे जो कि कनिष्ठयंत्री चैकिंग के दौरान ही गए थे। ऐसी दशा में कनिष्ठयंत्री का यह कथन कि विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु वह स्वयं गए थे सही होना नहीं पाया जाता है। मात्र लाइनमेन विजयसिंह के कथन के आधार पर जो कि प्र.पी. 2 के नोटिस एवं प्र.पी. 3 के सूचनापत्र के संबंध में कि वास्तव में उनकी तामीली कराई गई अथवा आरोपी को कोई सूचना दी गई हो ऐसा प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

09. जहाँ तक चैकिंग की कार्यवाही का प्रश्न है, कनिष्ठयंत्री आर.एस.गौर के द्वारा चैकिंग की कार्यवाही की जानी बताई गई है जो कि अन्य लाइनमेन साक्षी विजयसिंह प0सा0 2 तथा लाइन हेल्पर गंगासिंह प0सा0 3 के द्वारा प्र.पी. 1 का पंचनामा बनाया जाना बताया गया है। उक्त पंचनामा के संबंध में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है जिनके द्वारा कि कार्यवाही की जानी के तथ्य को प्रमाणित किया जा सके, जबकि कार्यवाही दिन के समय की थी और वहाँ पर

अन्य लोग मौजूद होने बताए गए है, इसके अतिरिक्त मौके से किसी प्रकार के कोई तार आदि की जप्ती भी नहीं की गई है। इस संबंध में पंचनामा में इस बात का उल्लेख है कि उपभोक्ता के द्वारा विरोध किये जाने के कारण जप्ती की कार्यवाही नहीं हो सकी हो, किन्तु मौके पर उपभोक्ता के अतिरिक्त कोई अन्य लोग थे अथवा नहीं इस बारे में कनिष्ठयंत्री न बता पाना अभिकथित किया है। ऐसी दशा में चैकिंग की कार्यवाही भी असंदिग्ध रूप से प्रमाणित होनी नहीं मानी जा सकती है।

10. इस प्रकार प्रकरण में जबकि आरोपी को विद्युत की बकाया राशि की सूचना अथवा विद्युत कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेन किये जाने की कोई सूचना की तामीली सुनिश्चित की गई हो नहीं पाई जाती है जो कि चैकिंग की कार्यवाही के पूर्व आवश्यक है और उनके अभाव में चैकिंग की कार्यवाही के आधार पर अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त चैकिंग की कार्यवाही के संबंध में कोई समुचित एवं उसको समुष्ट करने वाली कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध की प्रमाणिकता युक्तियुक्त रूप से सिद्ध नहीं होती है।

11. अतः परिवादी का वर्तमान प्रकरण आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुये उसे आरोपित अपराध धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विधुत
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विधुत
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग के लिए प्रतिलिपि अमान्य)